निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 फाल्गुन 1935 (श0)

(सं0 पटना 187) पटना, शुक्रवार, 21 फरवरी 2014

सं0 प्र04/ख0वि0अधि0–04/12–**1334** खाद्य

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

———

संकल्प

18 फरवरी 2014

विषय :–खरीफ विपणन मौसम 2012–13 के अन्तर्गत राज्य में धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम (15.11.12 से 15.04.13) तथा सी0एम0 आर0 कार्यक्रम (15.11.12 से 30.09.13) के लिए बिहार राज्य खाद्य निगम को कार्यशील पूँजी के रूप में विभिन्न बैंकों द्वारा दिए गए ऋण कुल 1300.00 करोड़ रूपये की राशि के लिए सरकार की गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

खरीफ विपणन मौसम 2012–13 अन्तर्गत राज्य में धान/चावल अधिप्राप्ति के लिए प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) एवं बिहार राज्य खाद्य निगम को अधिप्राप्ति अभिकरण के रूप में प्राधिकृत किया गया है। बिहार राज्य खाद्य निगम को अधिप्राप्ति कार्य हेतु नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है। इस मौसम में मुख्य रूप से प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) एवं बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा सीधे किसानो से धान का क्रय किया गया है। किसानों को क्रय केन्द्र पर ही एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से भुगतान किया गया है। वैसे पंचायत जहाँ पैक्स किसी कारणवश अधिप्राप्ति कार्य हेतु क्रियाशील नही थे या जहाँ किसान अपना धान बिहार राज्य खाद्य निगम को देना चाहते थे, वैसे पंचायत के किसानों से सीधे बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा उस प्रखंड में स्थापित अपने क्रय केन्द्र के माध्यम से धान क्रय किया गया है । पैक्सों द्वारा खरीदे गये धान को राज्य खाद्य निगम प्रखंडों में अवस्थित अपने क्रय केन्द्रों पर प्राप्त कर लिया गया है एवं पैक्सों को शीघ्र भुगतान किया जाना है । इसके लिए राज्य खाद्य निगम द्वारा प्रत्येक बाजार समिति प्रांगण में बेस गोदाम/कैप स्टोरेज/वाटर प्रूफ पंडाल की व्यवस्था की गई है । राज्य में अधिप्राप्त किये गये धान की मिलिंग का उत्तरदायित्व बिहार राज्य खाद्य निगम को दिया गया है । बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा पैक्सों से खरीदे गये धान एवं अपने क्रय केन्द्रों पर किसानो से खरीदे गये धान का मिलिंग कर सी0एम0आर0 निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम को सुपुर्द किया जाना है।

खरीफ विपणन मौसम 2011–12 अन्तर्गत अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार सरकार से 600.00 करोड़ एवं बिहार राज्य सहकारी बैंक से 1300.00 करोड़ कुल 1900.00 करोड़ रूपये की राशि ऋण के रूप में बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा प्राप्त की गई है। खरीफ विपणन मौसम 2011–12 में अधिप्राप्ति किये गये धान के विरूद्ध तैयार सी0एम0आर0 के मद में दिनांक 27.07.13 तक भारतीय खाद्य निगम से 2244.54 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई है तथा 175.88 करोड़ रूपये की राशि सी0एम0आर0 के मद में भारतीय खाद्य निगम के पास अवशेष है। बिहार राज्य सहकारी बैंक से ऋण

के रूप में प्राप्त 1300.00 करोड़ रूपये की राशि में से सी0एम0आर0 के मद में प्राप्त राशि से 1184.00 करोड़ रूपये की राशि सहकारी बैंक को वापस कर दी गई है तथा ऋण के मद में शेष राशि 116.00 करोड़ रूपये एवं उस पर देय सूद की राशि का भुगतान सहकारी बैंक को करने की कार्रवाई की जा रही है। खरीफ विपणन मौसम 2012–13 अन्तर्गत धान क्रय हेतु सी0एम0आर0 के मद में प्राप्त शेष राशि 517.25 करोड़ रूपये व्यय की गई है।

खरीफ विपणन मौसम 2011–12 अन्तर्गत अधिप्राप्ति किये गये धान के विरूद्ध कुल 14.46 लाख मे0 टन सी0एम0आर0 होता है जिसके विरूद्ध निगम के द्वारा दिनांक 30.04.13 तक 11.79 लाख मे0 टन सी0एम0आर0 भारतीय खाद्य निगम को प्राप्त करा दिया गया है तथा 97 हजार मे0 टन सी0एम0आर0 भारतीय खाद्य निगम द्वारा गुणवत्ता के मापदंड पर अस्वीकृत कर दिया गया है। शेष 1.70 लाख मे0 टन सी0एम0आर0 में से 1.10 लाख मे0 टन सी0एम0आर0 राज्य के 13 जिलों में भारतीय खाद्य निगम को प्राप्त कराने हेतु उपलब्ध है तथा 208 करोड़ रूपये में से 36 करोड़ रूपये का धान का मूल्य मिलर्स से प्राप्त की जा चुकी है और शेष राशि प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

खरीफ विपणन मौसम 2011–12 में बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा बिहार राज्य सहकारी बैंक से 800 करोड़ रूपये 11 प्रतिशत तथा एन0सी0डी0सी0 से 500 करोड़ रूपये 12.25 प्रतिशत बार्षिक ब्याज की दर से ऋण प्राप्त किया गया था जबकि खरीफ विपणन मौसम 2012–13 में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों से बेस रेट (वर्त्तमान में बेस रेट 10.25 प्रतिशत बार्षिक ब्याज की दर से) पर सरकार की गारंटी की प्रत्याशा में ऋण दिया गया है । इस प्रकार, बिहार राज्य खाद्य निगम को सूद के मद में औसतन 1.5 प्रतिशत की बचत हो रही है, जिसके फलस्वरूप बिहार राज्य खाद्य निगम को वर्तमान अधिप्राप्ति मौसम में चार बैंकों से लिये जानेवाले कुल 1300 करोड़ रूपये ऋण की राशि पर प्रतिमाह 1.62 करोड़ रूपये अर्थात् 19.50 करोड़ रूपये प्रति वर्ष की बचत होगी । खरीफ विपणन मौसम 2012–13 के अन्तर्गत क्रय किये गये धान के भंडार की बीमा कराने हेतु राष्ट्रीयकृत सामान्य बीमा कम्पनी की सेवा लेने के लिए इनश्योरेन्स ब्रोकिंग एजेन्सी की नियुक्ति, धान के भंडार की बीमा संबंधी कार्रवाई एवं रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, बिहार के यहाँ क्रीयेशन ऑफ चार्ज हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम के स्तर से कार्रवाई की जायेगी।

यद्यपि बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा उपर्युक्त चार बैंकों से प्राप्त की गयी ऋण की राशि 1300 करोड़ रूपये का भुगतान अपने वित्तीय संसाधन से करने में सक्षम है परन्तु विभिन्न बैंकों के द्वारा 2nd Charge के रूप में सरकार की गारंटी की मांग की गई है।

खरीफ विपणन मौसम 2012–13 अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम के लिए राज्य में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने एवं अधिप्राप्ति कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु चार राष्ट्रीयकृत बैंकों यथा केनरा बैंक–500 करोड़, इण्डियन बैंक–200 करोड़, बैंक ऑफ इण्डिया–500 करोड़, एवं बैंक ऑफ बड़ौदा–100 करोड़ कुल 1300.00 करोड़ रूपये की राशि, जो ऋण के रूप में दिया गया है, के लिए बेस रेट (वर्त्तमान में बेस रेट 10.25 प्रतिशत बार्षिक ब्याज की दर से) पर वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार गारंटी शुल्क के रूप में 1.6250 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष (राजकीय लोक उपक्रम से 10 लाख रूपये की रकम से ऊपर प्रतिवर्ष 1/8 प्रतिशत) बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा भुगतान करने के शर्त्त के साथ सरकार की गारंटी प्रदान करने का निर्णय लिया गया हैं।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प का प्रकाशन बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिशिर सिन्हा,
सरकार के प्रधान सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 187-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in